सं.4-1/2015-बीपी-2 (डब्ल्यूबीएनपी)

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 12 फ़रवरी, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: वर्ष 2015-16 के लिए गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यू.बी.एन.पी.) के अंतर्गत खाद्यान्नों का आवंटन।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिनांक 04.02.2015 के का0 ज्ञा0 संख्या 7-1/2015-सी.डी.-3 का हवाला देने तथा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के लिए लागू केन्द्रीय निर्गम मूल्य पर गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यू.बी.एन.पी.) के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के लिए 9.64 लाख टन गेहूं, 8.03 लाख टन चावल, 24300 टन मक्का व 12200 टन रागी के आवंटन का अनुमोदन सूचित करने का निदेश हुआ है।

2. खाद्यान्नों की लागत जमा करने तथा उठान की वैधता अवधि मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।

3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन के अनुसार भारतीय खाद्य निगम पूर्व-भुगतान आधार पर गेहूं, चावल, मक्का और रागी जारी करेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यह भी सुनिश्चित करें कि इस स्कीम के अंतर्गत उसके द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी खाद्यान्नों के संबंध में भारतीय खाद्य निगम को पूर्ण भुगतान प्राप्त होता है।

4. यह अनंतिम आबंटन पिछले उठान पर आधारित है। महिला और बाल विकास मंत्रालय से अनुरोध है कि वे इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार लाभभोगी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध अप्रयुक्त शेष खाद्यान्न के समायोजन के बाद खाद्यान्नों की तिमाही एवं निश्चित वार्षिक आवश्यकता भेजें ताकि इस विभाग द्वारा अंतिम आबंटन पर विचार किया जा सके। उनसे चालू वित्त वर्ष के अंत में वर्ष 2014-15 के दौरान गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यू. बी. एन. पी.) के अंतर्गत उन्हें आबंटित खाद्यान्न का उपयोग प्रमाण पत्र संबंधित उप सचिव/निदेशक द्वारा विधिवत, हस्ताक्षरित निर्धारित जीएफआर-19 ए प्रपत्र में प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया है। वर्ष 2014-15 का उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही अतिरिक्त आबंटन के अनुरोध पर विचार किया जाएगा।

5. जहां तक मोटे अनाज के आबंटन का संबंध है, राज्य सरकारें /इसकी एजेंसियां केंद्रीय सरकार से अपने पात्र आबंटन की मात्रा के अध्यधीन राज्य में संबंधित वस्तु की खरीद अवधि की अंतिम तारीख से 3 माह के भीतर टीपीडीएस और गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम सहित अन्य कल्याण योजनाओं के अंतर्गत मोटे अनाज का आबंटन करेंगी। माह के दौरान खरीदे गए मोटे अनाज का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए जिससे अगले 3 माह के भीतर इनका उपभोग हो सके और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा एक मासिक योजना तैयार की जानी चाहिए एवं इसकी सूचना विभाग को अग्रिम प्रेषित की जानी चाहिए। तदनुसार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय खाद्यान्नों के आबंटन के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से संपर्क कर सकता है।

6. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस स्कीम के अंतर्गत संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खाद्यान्नों उठान की नियमित निगरानी करें तथा खाद्यान्नों का उठान वैधता अवधि के भीतर किया जाना भी सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्यान्नों का यह आवंटन अन्यत्र हस्तांतरित नहीं किया जाता है तथा अधिकतम सीमा तक उठान किया जाता है जिससे कि लक्षित लाभभोगियों को इस स्कीम का पूरा लाभ प्राप्त हो सके।

(असित हलदर)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23382504

सेवा में

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,

(श्री वी.सी. चौधरी, अवर सचिव)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
2. महाप्रबंधक (बिक्री), भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
3. अवर सचिव, नीति-3/बीपी-3/गार्ड फाइल ।